रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17102026-277258
SG-DL-E-17102026-277258

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 16, 2026/आश्विन 24, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 259
No. 315]	NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2026/ASVINA 24, 1948	[N. C. T. D. No. 259

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

मंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दिल्ली

(स्टाम्प एवं पंजीकरण शाखा)

आदेश

दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2026

विषय:यथा संशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 34क तथा 34ख के अंतर्गत न्यायनिर्णायक अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति।

फा. सं.1/3510/आरबी/मंडलीयआयुक्त/मुख्या0/आर/2026/6030.–– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 34क तथा 34ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा उक्त प्रावधानों के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त करते हैं, अर्थात्:—

1. **न्यायनिर्णायक अधिकारी:**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंधित राजस्व जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों/उपायुक्तों को एतद्वारा उनके संबंधित अधिकारक्षेत्र के भीतर न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 34क के प्रयोजनार्थ **न्यायनिर्णायक** अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

2. **अपीलीय प्राधिकारी:**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंडलीय आयुक्त को एतद्द्वारा न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 34ख के प्रयोजनार्थ अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पांडुरंग के. पोले, सचिव (राजस्व)-सह-मंडलीय आयुक्त

OFFICE OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, DELHI

(Stamps and Registration Branch)

ORDER

Delhi, the 16th October, 2026

Subject: Appointment of Adjudicating Officers and Appellate Authority under Sections 34A and 34B of the Court-fees Act, 1870, as amended.

F. No. 1/3510/RB/Div.Comm./HQ/R/2026/6030.— In exercise of the powers conferred by Sections 34A and 34B of the Court-fees Act, 1870, as applicable to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints the following officers for the purposes of the said provisions, namely:—

1. **Adjudicating Officers:** The District Magistrates/Deputy Commissioners of the respective Revenue Districts of the National Capital Territory of Delhi are hereby designated as the **Adjudicating Officers** for the purposes of Section 34A of the Court-fees Act, 1870, within their respective jurisdictions.

2. **Appellate Authority:** The Divisional Commissioner, Government of National Capital Territory of Delhi, is hereby designated as the **Appellate Authority** for the purposes of Section 34B of the Court-fees Act, 1870.

This order shall come into force from the date of its publication in Official Gazette.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of
National Capital Territory of Delhi,

PANDURANG K. POLE, Secy. (Revenue)-cum-Divisional Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA